उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 960–कार्य/चौदह–पाकालि/2009–97–के/2010 दिनांकः 10 अगस्त ~~2009~~ 2010

1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/ पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/ मेरठ/आगरा,
केस्को–कानपुर।

2. मुख्य अभियन्ता पारेषण (आपरेशन/परियोजना)
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. उप महाप्रबन्धक (लेखा–सम्प्रेक्षा)/लेखा प्रशासन
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ

विषय :–शासन के पत्र संख्या क0नि0–5–2204/11–5–2010–500(19)/2010 दिनांक 09.06.2010 के कम में जनपद में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विलेखों का Ready recknoer सम्बन्धी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 शिविर लखनऊ के पत्रांक–609/ शि0का0लख0/2010, दिनांक 14.06.2010 की प्रति सूचनार्थ एवं आपके स्तर से नियमानुसार अग्रेतर वांछित कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

(भारत भूषण गोयल)
उप सचिव(कार्य)

संख्या : 960(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वितरण)/ निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य) के निजी सचिवगण उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता कम्प्यूटराईजेशन इकाई/यूनीफाइड स्कीम/सी0एम0यू0डी0 उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अपर सचिव–I/ II/ III/अराजपत्रित, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव (सचिवालय प्रशासन/कार्य/अधिष्ठान–अधिशासी प्रबन्ध, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि

(भारत भूषण गोयल)
उपसचिव (कार्य)

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0, शिविर लखनऊ।

04879 नि0 का0 प्र0 एवं प्रशा0, पाकालि/2010

सेवा में,

1. आयुक्त वाणिज्य कर,
   लखनऊ।
2. आयुक्त आवास,
   लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,
   उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम,
   कानपुर।
4. आयुक्त मनोरंजन कर,
   लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक,
   यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड,
   लखनऊ।
6. श्रम आयुक्त,
   कानपुर।
7. निदेशक,
   स्थानीय निकाय उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियन्ता,
   लोक निमार्ण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता,
   सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक,
    ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ
11. निदेशक,
    मण्डी उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 609 /शि0का0लख0/2010 दिनांक– 14 जून, 2010

विषय– Ready recknoer को मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–क0नि0–5–2204/11–5–2010–500 (19)/2010 दिनांक 09 जून, 2010 (संलग्न) के क्रम में जनपद में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विलेखों का Ready recknoer तैयार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हिमांशु कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0, शिविर लखनऊ।

अ0 स0-I
प्र0 अ0 (जनपद) पा0-II

17/6

372

P-&A)

2

Ready recknoer

जनपद एवं मण्डल स्तर के विभिन्न कार्यालयों में अनिबन्धित लेखपत्रों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों के निरीक्षण में बडी संख्या में अपर्याप्त स्टाम्पित विलेख पाये गये।

अतः कार्यालयों में सामान्यतया प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की देयता विषयक निम्न Ready recknoer सहायतार्थ प्रस्तुत है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I B

क्रम संख्या	विलेख का प्रकार	अनुच्छेद	धनराशि जिस पर स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाना है	देय स्टाम्प शुल्क
1.	करार या करार का ज्ञापन	5(ख–1) जब स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा न दिया गया हो और न ही दिये जाने का करार किया गया हो	प्रतिफल की रकम का आधा	50 रुपये प्रति हज
		अनुच्छेद 23 का स्पष्टीकरण– जब कब्जा अंतरित कर दिया गया हो या हस्तान्तरण पत्र निष्पादित किये बिना कब्जा दिये जाने का करार किया गया हो	बाजार मूल्य या प्रतिफल की धनराशि जो भी अधिक हो	50 रुपये प्रति हज
2.	पंच फैसला	अनुच्छेद 12 क	1000 रुपये तक	40 रुपये प्रति हज
		अनुच्छेद 12 ख	1000 रुपये से अधिक प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर	10 रुपये प्रति हज
		अनुच्छेद 12 ग	जब मूल्यांकन न किया जा सके	40 रुपये
3.	बैंक गारन्टी	अनुच्छेद 12–A	बैंक गारन्टी में निहित धनराशि	5 रुपये प्रति हजा परन्तु अधिकतम र 10000
4.	विक्रय प्रमाण पत्र	अनुच्छेद 18	क्रय धन की राशि	50 रुपये प्रति हज
5.	हस्तान्तरण पत्र(जैसा कि धारा 2–10 में परिभाषित है)	अनुच्छेद 23(क) स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में	प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो	50 रुपये प्रति हज
		अनुच्छेद 23(ख) चल सम्पत्ति	प्रतिफल की धनराशि	20 रुपये प्रति हज
6.	दान पत्र–जैसा कि धारा 2 (14–A में परिभाषित है)	अनुच्छेद 33	सम्पत्ति का बाजार मूल्य	50 रुपये प्रति हज
7.	लीज–जैसा कि धारा 2(16) में परिभाषित है	अनुच्छेद 35(क) जब लीज किराये के लिये दी गयी हो		
		(i)लीज की अवधि एक वर्ष से कम हो	सम्पूर्ण धनराशि	20 रुपये प्रति हज
		(ii)अवधि एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	औसत वार्षिक आरक्षित किराये के तीन गुना की राशि	20 रुपये प्रति हज
		(iii)अवधि 5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक	औसत वार्षिक आरक्षित किराये के चार गुना की राशि	20 रुपये प्रति हज
		(iv)अवधि 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम	औसत वार्षिक आरक्षित किराये के पांच गुना की राशि	20 रुपये प्रति हज
		(v) अवधि 20 वर्ष से अधिक परन्तु 30 वर्ष से	औसत वार्षिक आरक्षित किराये के छः गुना की	20 रुपये प्रति हज

		अनुच्छेद 35(ख) जब लीज प्रीमियम, फाइन या अग्रिम दिये गये धन के लिये हो तथा किराया न हो (एक) जहां लीज की अवधि 30 वर्ष से कम है **अनुच्छेद 35(ग)** जहां लीज किराये के अतिरिक्त प्रीमियम, फाइन या अग्रिम दिये गये धन के लिये हो (एक) जहां लीज की अवधि 30 वर्ष से कम है	प्रीमियम, फाइन या अग्रिम दिये गये धन किराये की धनराशि पर उपरोक्तानुसार तथा प्रीमियम, फाइन या अग्रिम दिये गये धन	20 रुपये प्रति हजार 20 रुपये प्रति हजार
		अनुच्छेद 35(vi), 35 (ख–दो), 35(ग–दो)	बाजार मूल्य	50 रुपये प्रति हजार
8.	बन्धक पत्र	अनुच्छेद 45 क ख ग	जब कब्जा दिया गया हो या देने का करार किया गया हो जब कब्जा न दिया गया हो अन्य	20 रुपये प्रति हजार 5 रुपये प्रति हजार 5 रुपये प्रति हजार
9.	विभाजन का विलेख–जैसा कि धारा 2(15) में परिभाषित है	अनुच्छेद 45	सम्पत्ति के प्रथकृत भाग या भागों के मूल्य पर	40 रुपये प्रति हजार

नोट–

1. यदि अंतरण होने वाली सम्पत्ति उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन घोषित क्षेत्र/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की सीमा मे स्थित है उस दशा में विलेख के मूल्य पर 20 रुपये प्रति हजार की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क देय होगा।
2. कमांक–1,4,5,6 तथा अनुच्छेद–35(vi), 35(ख–दो) एवं 35(ग–दो) में उल्लिखित लिखत, यदि 10 लाख से अधिक है, में यदि स्त्री का अंश विर्निदिष्ट है उस दशा में प्रतिफल या बाजार मूल्य (जैसी भी स्थिति हो) 10 लाख रुपये तक 40 रुपये प्रति हजार तथा शेष पर 50 रुपये प्रति हजार स्टाम्प शुल्क देय होगा। 10 लाख रुपये तक की लिखत यदि स्त्रियों के पक्ष में निष्पादित है उस दशा में अंश विर्निदिष्ट न होने पर भी 40 रुपये प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा।
3. यदि किसी विलेख का मूल्य 2.5 लाख रुपया है उस दशा में निबन्धन शुल्क 1 प्रतिशत की दर से तथा शेष मामलों में निबन्धन शुल्क 2 प्रतिशत की दर से परन्तु अधिकतम 10000 रुपये होगा।
4. संदेह की स्थिति में जनपद के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन से अभिमत प्राप्त किया जा सकता है।
5. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33 के अन्तर्गत प्रत्येक लोक सेवक का यह दायित्व है कि उसके समक्ष प्रस्तुत अपर्याप्त स्टाम्पित विलेख को वह जब्त कर जिला कलेक्टर को संदर्भित करेगा या इसकी सूचना शासनादेश के अनुसार जिले के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उनके द्वारा अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित विलेखों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त होने वाले शुल्क एवं दण्ड से वंचित किया जा रहा है।

   अतः ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 के अधीन कार्यवाही की जायेगी जिसमें कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10000.00 रुपये तक हो सकेगा, या दोनो से दण्डनीय होगा।

५

संख्या–क0नि0–5–2204/11–5–2010–500(19)/2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

लखनऊःदिनांक 09 जून,2010

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

विषयः–अनिबन्धित लेखपत्रों की प्रतियां स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्रेषित करने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क राज्य की राजस्व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस आय का लक्ष्य रू0 5,737 करोड़ निर्धारित किया गया है जो कि गत वर्ष की उपलब्धि की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक है। कराधान को सरलीकृत करने के लिए देय स्टाम्प दरों में गत वर्षों में कमी की गई है तथा राज्य के विकास हेतु बहुत सी योजनाओं में स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गई है। अस्तु, इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है कि करापवचन के समस्त सम्भावित स्रोतों को बन्द किया जाये, जिससे राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

2. विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण से अन्य शासकीय विभागों में गत वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे अनिबन्धित लेख पत्र संज्ञान में आये जो कि समुचित रूप से स्टाम्पित नहीं थे और उन पर बड़ी राशि में स्टाम्प कमी पायी गई थी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अन्तर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी जिसके समक्ष उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत किया जाये या

5

आ जाये, जो स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो परन्तु यथाविधि स्टाम्पित न हो, तो वह उसे जब्त करेगा अर्थात् अग्रेतर कार्यवाही रोककर मूल विलेख कलेक्टर स्टाम्प को संदर्भित करेगा। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने इस अधिनियम संगत कर्तव्य का अनुपालन पूरी तरह नहीं किया जा रहा है।

3. रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत स्वत्व एवं अधिकारों से सम्बन्धित विलेखों के निबन्धन को अनिवार्य बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 49 के अनुसार जिन विलेखों का निबन्धन आवश्यक है, यदि वे निबन्धित नहीं कराये गये हैं तो उन्हें साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे विलेख को जो स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो, साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा अथवा किसी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा उसको कियान्वित रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अभिलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षणों में पाये गये अनिबन्धित लेख पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा अधिनियम की मंशा के विपरीत अनिबन्धित लेख पत्रों को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

4. यह भी तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों द्वारा विलेखों की प्रतियां मांगे जाने पर कतिपय विभागों द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो सर्वथा उचित नहीं है। यह इंगित करता है कि सम्बन्धित अधिकारी जिसके समक्ष यह विलेख उसके शासकीय दायित्वों के निर्वहन के समय प्रस्तुत हो रहे हैं स्टाम्प करापवंचन को रोकने में सजग नहीं हैं अथवा वे अपरोक्ष रूप से करापवंचन में सहयोग दे रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश सरकार को शासकीय राजस्व की क्षति हो रही है।

5 उक्त पृष्ठभूमि में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे आपको एतदद्वारा निम्न निदेश दिये जाने की अपेक्षा की गयी है:

1. प्रत्येक लोक अधिकारी (Public servant) अपने समक्ष माह में प्रस्तुत होने वाले समस्त अनिबंधित लेखपत्रों की छायाप्रति अगले माह के 10 तारीख से पूर्व जनपद के सहायक आयुक्त स्टाम्प को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर विवरण सहित रटाम्प देयता की जॉच हेतु प्रेषित करेंगें। किसी माह में कोई प्रलेख प्रस्तुत न होने पर भी निर्धारित प्रारूप पर माह की सूचना शून्य प्रेषित की जायगी।

6

2. सहायक आयुक्त स्टाम्प उक्त लेखपत्रों में स्टाम्प देयता की जॉच करेंगें तथा अपर्याप्त/अस्टाम्पित लेखपत्रों पर स्टाम्प वसूली हेतु स्टाम्प वाद कायम करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें तथा पर्याप्त स्टाम्पित लेखपत्रों की प्रतियां सम्बन्धित विभाग को वापस कर देंगें।

3. प्रत्येक जिलाधिकारी कर एवं करेत्तर राजस्व की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उक्त कार्यवाही की समीक्षा करेंगें तथा यदि किसी विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हो रही हो तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

4. प्रत्येक मण्डलायुक्त उक्त कार्यवाही का अनुश्रवण अपनी कर एवं निबन्धन विभाग की पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेंगें।

6. मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक लोक अधिकारी (Public Servant) को यह अवगत करा दिया जाये कि यदि वह अनिबन्धित/न्यून स्टाम्पित लेख पत्रों का साक्ष्य क रूप में स्वीकार करते हैं अथवा ऐसे लेख पत्रों को सहायक महानिरीक्षक को संदर्भित नहीं करते हैं तो यह मानते हुए कि उनके द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई, दण्डित किया जा सकता है।

7. उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या– (1)क0नि0–5–/11–5–2010–500(19)/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि किस प्रकार के विलेख पर कितना स्टाम्प/निबन्धन शुल्क वांछित है, के सम्बन्ध में एक पृष्ठ का 'ready reckoner' तैयार करके सभी विभागाध्यक्षों को एवं मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के माध्यम से सभी मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर बंटवाकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव

प्रारूप

विभाग / कार्यालय का नाम
जनपद.....
कार्यालध्यक्ष / लोक सेवक का नाम–
पदनाम–
माह.....

माह में प्राप्त अनिबन्धित प्रलेखों का विवरण

प्रस्तुत अनिबन्धित प्रलेखों की संख्या			सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को प्रेषित मूल विलेखों / छायाप्रतियों की संख्या			अभ्युक्ति
गत माह तक	माह में	कमिक	गत माह तक	माह में	कमिक	
1	2	3	4	5	6	7

नोटः– माह में यदि कोई ऐसा प्रलेख प्रस्तुत न हो, कालम नं02 व 5 में शून्य भरकर सूचना प्रेषित की जावे।
संलग्नकःविलेखों की प्रतियॉ / मूल

पदनाम / हस्ताक्षर